<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/32/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 27 सितंबर, 2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला सं. एडी (ओआई) - 30/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. फा. सं. 6/32/2024-डीजीटीआर: **पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "आवदेक" या "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''एडी नियमावली'' या ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें **चीन जन. गण.** (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील"** (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरापे लगाया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आगे वास्तविक क्षति का खतरा है और उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. **विचाराधीन उत्पाद**

3. संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" (सीआरएनओ) है। इसमें सिलिकॉन-इलेक्ट्रिकल स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे कॉइल में हों या नहीं, चौड़ाई और मोटाई की परवाह किए बिना |

4. सीआरएनओ को शीट की प्लेन में सभी दिशाओं (नॉन ओरिएंटेड) में बिल्कुल समान मैगेनेटिक और इलेक्ट्रिकल विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (जीओईएस) में सुपीरियर मैगेनेटिक और इलेक्ट्रिकल विशेषताएं होती हैं तथा शीट के प्लेन में लंबाई वार दिशा के साथ बेहतर विशेषताएं होती हैं, परंतु अन्य दिशाओं में कम अनुकूल विशेषताएं होती हैं।

5. सीआरएनओ का उल्लेख नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एनओईएस), नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (एनजीओ), नॉन-ओरिएंटेड स्टील (एनओ), कोल्ड-रोल्ड नॉन-ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरएनजीओ) आदि के रूप में भी किया जाता है। इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है।

6. पीयूसी में सभी प्रकार के सीआरएनओ चाहें कोटेड हों या नहीं, शामिल हैं (उदाहरण के लिए इनामिल, वारनेस, नेचुरल ऑक्साइड सतह, फास्फेट सतह या रासायनिक रूप से अन्य सामग्रियों से उपचारित)।

अपवर्जन

7. सीआरएनओ के विनिर्माण में प्रयुक्त कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएफएच) पीयूसी के दायरे से बाहर है।

प्रयोग

8. सीआरएनओ का व्यापक रूप से बड़े आकार के विद्युत जनरेटरों से लेकर छोटे आकार की कुशल इलेक्ट्रिक मोटरों की रोटेटिंग मशीनों की लौह अयस्क सामग्रियों के लिए होता है जिसे घरेलू उपकरण, एचईवी/ईवी ट्रैक्शन मोटर, बड़े जनरेटर, औद्योगिक मोटर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

9. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एचएस कोड 72251920, 72251990, 72261920 और 72261990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, पीयूसी के आयात कतिपय अन्य एचएस कोडों अर्थात् 72255010, 72107000, 72261910, 72269110 और 72261100 में भी देखें गए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में पीयूसी के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

10. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।

पीयूसी के लिए प्रस्तावित पीसीएन				
क्र.सं.	**विशेषताएं**	**अंकों की संख्या**	**विवरण**	**कोड**
1	मोटाई	2	0.35 मिमी. तक और उसके सहित	टी1
			0.35 मिमी से अधिक और 0.5 मिमी तक	टी2
			0.5 मिमी. से अधिक	टी3
2	कोर लॉस (50 हार्ट्ज की आवृत्ति पर और 1.5 टेसला की अधिकतम फ्लक्स घनत्व तत्व)	2	3.50/किलोग्राम तक और उसके सहित	सी1
			3.50 वाट/किलोग्राम से अधिक और 5.00 वाट/किलोग्राम तक	सी2
			5.00 वाट/किलोग्राम से अधिक	सी3

11. वर्तमान जांच के लिए पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे और प्रस्तावित पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों, प्रदान कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

12. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। इन दोनों उत्पादों के तकनीकी विनर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथमदृष्ट्या तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

13. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश **चीन जन. गण.** है।

घ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

14. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 - 31 मार्च, 2023 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

ड. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

15. यह आवेदन पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।

16. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि आवेदक अर्थात् पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड और सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मापदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

17. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देती है, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

18. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के साधन उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत समायोजन के बाद सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया है।

ख. निर्यात कीमत

19. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। कारखानाद्वार स्तर पर कीमत की गणना के लिए उचित कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन सके।

ग. पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के

पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

21. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव डालती है। आवेदकों ने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण बाजार हिस्से, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में उनका निष्पादन खराब हुआ है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है और वास्तविक क्षति का खतरा है जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराता है।

22. तथापि, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच करने के लिए, प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांग सकते हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

23. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. **प्रक्रिया**

24. एडी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

25. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dir14-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की आधिकारिक वैबसाइट www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें । हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच में आगे की गतिविधियों से अवगत रहने और प्रश्नावली के प्रपत्र, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई के नोटिस, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (http://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखने का निदेश दिया जाता है। इससे यह

सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से भलि-भांति अवगत रहेंगे।

ट. समय सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dir14-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले किसी पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी

द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों / उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या इस जांच अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी